

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 105/19
(आरसीएमएस संख्या 2019/00157)

निर्णय दिनांक:—28-02-2020

1. रामप्रताप पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी प्रेमनगर तहसील हनुमानगढ़ टाऊन जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 04-07-1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर।

उपस्थिति:—

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—



1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 04-07-1998 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 34/07 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त मुरब्बे के आवंटन हेतु अपीलांट के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना दिये अपीलांट का प्रार्थना पत्र उक्त भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी

राजस्थान अपील प्राधिकारी
बीकानेर

गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंदन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। यदि अपीलांट को अवसर प्रदान किया जाता तो वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे अन्यथा अपीलांट को पात्रता अनुसार समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटित की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1991 पेज 155, आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1339, आरआरडी 2016 पेज 214, आरआरडी 1982 पेज 589 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।



विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04-07-1998 के विरुद्ध अपील दिनांक 18-06-19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्य को उक्त भूमि आवंटित होने के आधार पर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित होने के कारण उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती।

राजस्थान उच्च न्यायालय
बीकानेर

अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 04-07-1998 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 18-06-2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके

खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि चक 13 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 34/07 की भूमि बतौर विशेष आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि अन्य को आवंटित है, ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र पर आवंटन संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(3) इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा चक 18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 34/07 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलांट को उसके द्वारा आवेदित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। विशेष आवंटन में अन्य भूमि आवंटन के प्रावधान निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवेदन को इस आधार पर कि उनके द्वारा आवेदित भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर आवंटन संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से इसी आधार पर खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।



7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 04-07-1998 यथावत बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28-02-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजेंद्र सिंह सेवकिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर प्राधिकारी
बीकानेर

